फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़
ओम प्रकाश बनाम मालाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act. मु.नं. 11/2019

धारा 151 CPC का जवाब वकील वादीगण नहीं चाहते इसलिये प्रार्थना-पत्र की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिनमें वादी का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसमें वादी अपना हिस्सा काश्त करता है इसलिये वादी का प्रतिवादी हक व हिस्सा बन्धक व रहन रखने का प्रतिवादी सं. 01 ता. 04 को कोई अधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 08 बैंक ने इसका विरोध किया व अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 01 ता 04 मालिक नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि का बैंक मालिक है जिनके पक्ष में रहन है। तथा प्रतिवादी सं. 01 ता 04 बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई इसलिये श्रीमान के समक्ष रोड़ा एक्ट के तहत बैंक ने कार्यवाही प्रस्तुत कर दी। जिसमें श्रीमान जी के आदेश से वादग्रस्त भूमि की कुर्की व नीलामी हो चुकी है। तथा बोली दाता प्रतिवादी सं. 11 ने सम्पूर्ण नीलामी की राशि 32,55,000/- रुपये जमा भी करवा दिये हैं। वकील बैंक की बहस है कि वादी का दावा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर चलने योग्य नहीं है तथा श्रीमान को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। क्योंकि रोडा एक्ट की धारा 28(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक संयुक्त हिन्दू परिवार के मैनेजर/मुखिया द्वारा किया गया बन्धक परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होता है तथा राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट आपरेशन्स (रिमूवल डिफिकल्टीज) एक्ट 1974 की धारा 11, 12, 13, व 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा पारित कुर्की व नीलामी का आदेश सिविल न्यायालय की एक डिक्री का होना समझा जायेगा। इसलिये सिविल न्यायालय की डिक्री की पालना पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रोक व सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिये वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से ...

Scanned by CamScanner

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम श्रीडूंगरगढ़
ओम प्रकाश .... बनाम मालाराम वगैरह
मुकदमा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RT Act नं. 11/2019 .... सन् ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य है तथा श्रीमान जी के न्यायालय को उस दावा की सुनवाई का अधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 08 ने इस सम्बन्ध में रुलिंग कानून पेश की जो इस प्रकार है:-	
	① फतेहचन्द महात्मा बनाम बैंक ऑफ राजस्थान 1994 RRD P.No. 242 (L.B)	
	② हरविन्द कौर v/s स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया आदि 2014 (1) RRT P.No. 444.	
	③ RODA एक्ट की धारा 28 (1) 11, 12, 13, 14 की फोटो प्रतियाँ पेश की। 2014 (1) DNJ P.No. 438 (DB)(H.C)	
	वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 08 की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी सं. 08 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन किया गया। वकील वादी का दावा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर चलने योग्य नहीं है क्योंकि RODA एक्ट की धारा 28 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि परिवार के मुखिया/मैनेजर द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु रहन रखी गई भूमि परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होती है तथा धारा 13 व 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कुर्की व नीलामी का आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री का होना समझा जायेगा। इसलिये इस न्यायालय को वादी का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 08 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस बात की ताईद करते हैं तथा	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म	
	इस प्रकरण में चस्पा होते हैं। लिहाजा प्रतिवादी सं. 08 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 07 नियम 11 व धारा 151 CPC स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर)
	उपखण्ड अधिकारी डूंगरगढ़ (बीकानेर)